04.06.26 कारावासित अभियुक्त मो० मौफिल को कारा अधिपत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को पुलिस पेपर की आपूर्ति की गई। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभि० के विरुद्ध धारा- 310 (4), 310 (5), 317 (3), 317 (4) B.N.S. एवं 25 (1-B) A | 26 | 35 Arms Act के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। संज्ञानित धाराओं में धारा- 310 (4), 310 (5), 317 (3) एवं 317 (4) B.N.S. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्त का वाद दौरा सुपुर्द कर सत्र न्यायालय, सुपौल भेजा जाता है। वाद दौरा सुपुर्दगी की सूचना विद्वान अभियोजन पदा० को दी गई। कार्यालय लिपिक सम्पूर्ण अभिलेख सत्र न्यायालय, सुपौल भेजें। उपकारा अधीक्षक, वीरपुर को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि पर अभियुक्त को सत्र न्यायालय में उपस्थापित करायेंगे। दिनांक - 18.6.26 वास्ते सत्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु।

अभियुक्त पेपर प्राप्त किया।

बा० अंगूठा निशान मो० मौफिल

commit to court of session.

ह०

अनु० न्याय दण्डा०